विदेशी मुद्रा गतिविधियां

जुलाई 2009

i) एक्जिम बैंक की म्यानमा विदेश व्यापार बैंक, म्यानमार को 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने म्यानमा विदेश व्यापार बैंक, म्यानमार के साथ म्यानमार में थनबायेकन पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के संबंध में भारत से परामर्शदात्री सेवाओं सहित सुयोग्य वस्तुओं और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर (बीस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 17 फरवरी 2009 को एक करार किया है।

[ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं. 1
दिनांकित 02 जुलाई 2009]

ii) भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान (राजकीय)व्यापार समझौते

बैंकों का ध्यान 24 मार्च, 2009 के ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 59 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें 05 मार्च 2009 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 67.2425 रुपये नियत किया गया था। 19 मई 2009 से इसमें एक और संशोधन हुआ है और तदनुसार, 22 मई 2009 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 64.6153 रुपये नियत किया गया है ।

[ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं.203
दिनांकित 3 जुलाई 2009]

iii) भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान (राजकीय) व्यापार समझौते

बैंकों का ध्यान 03 जुलाई, 2009 के ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.02 की ओर आकर्षित

किया जाता है, जिसमें 22 मई, 2009 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 64.6153 रुपये नियत किया गया था। 22 जून, 2009 से इसमें एक और संशोधन हुआ है और तदनुसार, 25 जून 2009 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 66.5719 रुपये नियत किया गया है।

[ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं.03
दिनांकित 17 जुलाई 2009]

iv) एक्जिम बैंक की रिपब्लिक ऑफ सूडान सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने सूडान के ह्वाइट नाइल स्टेट में एल्डयूम शुगर परियोजना के लिए भारत से सुयोग्य वस्तुएं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के वित्तपोषण के लिए रिपब्लिक ऑफ सूडान सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर (पच्चीस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए उसके साथ 26 जनवरी 2009 को एक करार किया है ।

[ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं. 4
दिनांकित 21 जुलाई 2009]

v) भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गम

किसी घरेलू निक्षेपागार के माध्यम से भारत से बाहर पात्र निवासी कंपनियों को भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) का निर्गम सुगम बनाने तथा भारत में निवासी तथा भारत से बाहर के व्यक्तियों को भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आइडीआर) खरीदने, धारण करने, अंतरित करने और और मोचित करने की अनुमति प्रदान करने के उदेश्य से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय निक्षेपागार रसीद (आइडीआर) नियमावली को 22 जुलाई 2009 से लागू कर दिया गया है।

तदनुसार, भारत से बाहर की पात्र निवासी कंपनियाँ किसी स्वदेशी निक्षेपागार के माध्यम से भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आइडीआर) जारी कर सकती हैं। यह अनुमति कंपनी (निक्षेपागार रसीदों का निर्गम) नियमावली 2004 तथा उसके बाद उसमें अब तक किए गए संशोधनों और समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) (डीआइपी) दिशा-निर्देश, 2000 के अनुपालन के अधीन दी गई है। किसी शाखा अथवा सहायक कंपनी द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के निर्गम के माध्यम से निधि प्राप्त करने के लिए इच्छुक भारत में कार्यरत वित्तीय/बैंकिंग कंपनियाँ भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आइडीआर) जारी करने से पूर्व क्षेत्र नियंत्रक (नियंत्रकों) का अनुमोदन प्राप्त करें।

भारत के निवासी व्यक्तियों / विदेशी संस्थागत निवेशकों / अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) में निवेश तथा उसके बाद भारत में मान्यता प्राप्त किसी शेयर बाज़ार में लेनदेन से उत्पन्न अंतरण के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2(v) के अंतर्गत यथा परिभाषित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) विनियमावली भारत में निवासी व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशकों के अनुमोदित उप-खातों सहित विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत और अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) भी समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 के अधीन भारत के बाहर निवासी पात्र कंपनियों के भारतीय पूँजी बाज़ार में जारी भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) में निवेश, खरीद, धारण और अंतरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अनिवासी भारतीय किसी प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक में अपने नाम रखे गए एनआरई/एफसीएनआर (बी) में धारित

निधियों में से भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) में निवेश कर सकते हैं।

प्रतिमोचन

भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के स्वचलित प्रतिमोचन की अनुमति नहीं है।

मोचन की अवधि

भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के निर्गम की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आइडीआर) अंतर्निहित इक्विटी शेयरों में मोचन योग्य नहीं होंगी।

अंतरण और मोचन की प्रक्रिया

भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के अंतर्निहित शेयरों में मोचन/परिवर्तन के समय भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के भारतीय धारकों को (भारत के निवासी व्यक्ति) समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति के अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा देखें अधिसूचना सं.फेमा 120/आरबी-2004 दिनांकित 7 जुलाई 2004। तदनुसार, भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के मोचन पर निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएः

(i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियाँ समय-समय पर यथा संशोधित 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना संख्या फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6बी और 7 की शर्तों के अधीन अंतर्निहित शेयरों की या तो बिक्री कर सकती हैं अथवा धारण करना जारी रख सकती हैं।

(ii) सेबी में पंजीकृत भारतीय पारस्परिक निधियाँ समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना संख्या फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6 सी की शर्तों के अधीन अंतर्निहित शेयरों की या तो बिक्री कर सकती हैं अथवा धारण करना जारी रख सकती हैं।

(iii) निवासी व्यक्तियों सहित भारत में निवासी अन्य व्यक्तियों को भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) को अंतर्निहित शेयरों में बदले जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर केवल विक्रय के प्रयोजन से अंतर्निहित शेयरों को धारण करने की अनुमति दी गई है।

(iv) विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अनुमोदित उप-खातों सहित विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के मोचन पर अंतर्निहित शेयरों के धारण पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम प्रावधान लागू नहीं होंगे।

अन्य

भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के निर्गम की आय को ऐसी भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आइडीआर) जारी करने वाली पात्र कंपनियों द्वारा तत्काल भारत से बाहर प्रत्यावर्तित कर दिया जाए। जारी की गई भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) को भारतीय रुपए में मूल्यवर्गित किया जाए।

[ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं.05
दिनांकित 22 जुलाई 2009]

त्रुटि सुधार :

बुलेटिन के जुलाई 2009 के अंक में पेज सं. 1124 पर खंड 1.1 के पहले वाक्य को इस प्रकार पढ़ा जाए ''2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि में दिखी स्पष्ट गिरावट सभी क्षेत्रों में देखी गयी, यद्यपि यह गिरावट औद्योगिक क्षेत्र में बिल्कुल लंबवत रही है।''